पत्रांक म॰भो॰/को॰–ES-123/2015 –1198

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संकल्प

विषय–मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया–सह–सहायक को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को एकमुश्त 4,00,000/–(चार लाख) रू॰ का अनुग्रह अनुदान राशि देने के संबंध में।

मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त 2015 में 71,426 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में रसोईया–सह–सहायक के द्वारा मध्याह्न भोजन बनाया जाता है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना, समिति में कुल 2,28,000/– (दो लाख अठाईस हजार) रसोईया –सह– सहायक कार्यरत हैं। प्रत्येक रसोईया–सह–सहायक को प्रति माह 1000/– (एक हजार रूपया) रू॰ मानदेय के रूप में दिया जाता है, वो भी एक वर्ष में 10 माह का ही मानदेय दिया जाता है।

2. इस योजना के माध्यम से बच्चों में पोषण के अतिरिक्त शिक्षा, सामाजिक समानता एवं भाईचारा की भावना का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं उनके उचित पोषण के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार राज्य के सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों, मदरसा/मकतब/संस्कृत विद्यालय/राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना अन्तर्गत संचालित विद्यालय एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों में वर्ग–I से वर्ग–VIII में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका–पकाया मध्याह्न भोजन रसोईया–सह–सहायक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। विद्यालयों में खाना बनाने के दौरान खतरा बना रहता है। साथ हीं, ये सभी समाज के कमजोर वर्ग से एवं कम आमदनी वाले परिवार के सदस्य होते हैं। इस पृष्ठभूमि में आवश्यकता प्रतीत हुआ कि रसोईया–सह–सहायक को कार्य के दौरान सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000/– (चार लाख) रू॰ की अनुग्रह अनुदान राशि उनके आश्रितों को दिया जायेगा।

3. उपर्युक्त से संबंधित स्वीकृति दिनांक 22.08.215 के मंत्रिपरिषद की बैठक में दी जा चुकी है। संचिका संख्या म॰भो॰/को॰–ES-123/2015 के पृष्ठ संख्या 16/प पर स्वीकृति से संबंधित आदेश है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 प्रतिलिपि शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) को प्रेषित की जाय।

27/8/15

(सुनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : म॰भो॰/को॰–ES-123/2015 –1198........... पटना, दिनांक 31/8/15

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/15

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : म॰भो॰/को॰–ES-123/2015 –1198........... पटना, दिनांक 31/8/15

प्रतिलिपि :– निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना/ निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/बजट पदाधिकारी प्रशाखा–5/सहायक निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी), शिक्षा विभाग/लेखापाल, मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/15

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : म॰भो॰/को॰–ES-123/2015 –1198........... पटना, दिनांक 31/8/15

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/8/15

संयुक्त सचिव।